

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आतिरिक्त संलग्नक 2.3

आज दिनांक 30.09.2015 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा (एजेन्सी का नाम) के द्वारा ठांगधार थौलधार मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मदन लाल चमोली वन दरोगा एवं श्री सरदार सिंह गुसाई वन वी0अ0, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री बलबीर सिंह पुण्डीर अमीन व श्री शैलेन्द्र पान्डे कनिष्ठ अभियन्ता, अन्य दावेदारों की ओर से ग्राम प्रधान बरवालगांव, पूर्व ग्राम प्रधान ग्राम सभा बरवाल गांव श्री रूप सिंह चौहान, तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री राम्भू प्रसाद सकलानी के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु के कार्डिनेट N- 30° 25' 7.87'' E- 78° 20' 19.05'' तथा अन्तिम बिन्दु के कार्डिनेट N- 30° 26' 57.90'' E- 78° 22' 15.76'' है।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 3.500 (किमी0) नाप भूमि से, 4.275 (किमी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 2.45 हे0 नाप भूमि 2.9925 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.9925 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर कुल 653 वृक्ष आ रहे हैं, आरक्षित वन भूमि में वास्तविक रूप से पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 378 है जो कि 10-20 व्यास वर्ग से अधिक के हैं।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन कौडिया बीट कक्ष संख्या 10,12,13,15 से से गुजरेगा/में स्थित है। इस समरेखण में निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	क्र.से.	भूमि	ल0	चौ0	वर्गमी.	है0
1	0/0 to 0/20	आरक्षित वन भूमि	500 M	7.00	3500.00	0.35
2	0/20 to 1/20	नाप भूमि	1000 M	7.00	7000.00	0.70
3	1/20 to 2/36	आरक्षित वन भूमि	1400 M	7.00	9800.00	0.98
4	2/36 to 3/36	नाप भूमि	1000 M	7.00	7000.00	0.70
5	3/36 to 5/11	आरक्षित वन भूमि	1375 M	7.00	9625.00	0.96
6	5/11 to 5/21	नाप भूमि	250 M	7.00	1750.00	0.18
7	5/21 to 6/21	आरक्षित वन भूमि	1000 M	7.00	7000.00	0.70
8	6/21 to 7/31	नाप भूमि	1250 M	7.00	8750.00	0.88
					Total	5.45

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 4.04 (किमी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 2.83 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.83 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। परन्तु अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त लो.नि.वि. नई टिहरी के पत्रांक 9962/404 सी.-8/2014 दिनांक 12.01.2015 द्वारा इस समरेखण को अनुपयुक्त पाया गया तथा समरेखण नं0 01 अनुमोदित किया गया।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा (टिहरी-गढ़वाल)

बघिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चम्बा।

उपजिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

क्षेत्रीय पटवारी
राजस्व उपनिरीक्षक
थौलधार
तह0-कण्डीसौड, (टि0ग0)

तहसीलदार
कण्डीसौड
टिहरी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
टिहरी/कण्डीसौड

**SITE INSPACTION NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

5.1 A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Construction Division P.W.D. Chamba (T.G)** (for diversion under FCA-1980) of **2.9925 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Construction of Thangdhar to Thauldhar Motor Road**. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **2.9925 ha.**

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project.

5.4 Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 xx Whether any protecterd archeological/heritage site/defense establishment or any other important monoments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

(a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

(b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध मे अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)
वन-भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

(Signature)

Place

Name

Date

Designation.....

Office Seal.

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hactares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hactares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.